

लोक सभा  
अल्प कालीन चर्चा

स्थान -

दिनांक -

प्रेषक

....., संसद सदस्य ।

सेवा में,

महासचिव,  
लोक सभा,  
नई दिल्ली ।

महोदय,

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 193 के अन्तर्गत में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर अल्प काल के लिये चर्चा उठाने की सूचना देना चाहता हूं -

चर्चा उठाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण संलग्न है।

भवदीय,

( ) संसद सदस्य  
विभाजन संख्या .....

समर्थक

(1)

(2)

लो.स.स.एल.40